

FROM :

FAX NO. : 0551355267

27 Mar. 2018 1:45AM P1

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/2/2018 लखनऊ:दिनांक:मार्च 27, 2018

--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली, 2008 के नियम-64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पूर्व निर्गत आदेश दिनांक 21.03.2018 के कम में माह अप्रैल, 2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत् निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं०	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य
1	2	3	4	5
1	पीठ-1, आगरा	पीठ- व 2 आगरा	02.04.18 से 06.04.18	पीठ-1 आगरा (न्यायिक) व पीठ-झांसी (न्यायिक)
2	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	02.04.18 से 06.04.18	पीठ-1, गाजियाबाद (न्यायिक) व पीठ-फैजाबाद (विभागीय)
3	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4	02.04.18 से 06.04.18	पीठ-1, कानपुर (न्यायिक) व पीठ-4 कानपुर (विभागीय)
4	पीठ-मुरादाबाद	पीठ-मुरादाबाद	02.04.18 से 06.04.18	पीठ-मुरादाबाद (विभागीय) व पीठ-1, नोएडा (न्यायिक)

ह0/-27.03.2018

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कैम्प (गोरखपुर पीठ गोरखपुर)

पृष्ठांकन-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/9330/2018, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय ।
- 3- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी ।

ह0/-27.03.2018

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कैम्प (गोरखपुर पीठ गोरखपुर)

निबंधक

वाणिज्य कर अधिकरण

उ० प्र० लखनऊ

559
24/3/18